रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 441] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 1996/श्रावण 9, 1918
No. 441] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 1996/SRAVANA 9, 1918

GOVT OF INDIA

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1996

का. आ. 546(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 193 के परन्तुक के खंड (iiiक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 5 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या एफ-4(2)/डब्ल्यू एंड एम/96 के तहत भारत सरकार की जीरो कूपन बांड, 2000 (तृतीय श्रृंखला) की नीलामी द्वारा बिक्री स्कीम के अन्तर्गत जारी किए गए भारत सरकार के पांच वर्ष की अवधि के जीरो कूपन बांडों के मोचन मूल्य और बोली मूल्य के बीच के संदेय अन्तर को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है :—

किन्तु उक्त बांड :—

(i) किसी बैंकिंग कम्पनी;

(ii) किसी सहकारी बैंक;

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4-क में यथा-परिभाषित किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था;

(iv) डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस आफ इंडिया लि.;

(v) भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि.

द्वारा धारित किए गए हैं।

[अधिसूचना सं. 10159/फा. सं. 275/166/96-आयकर बजट]

एस. एन. शेम्बे, सदस्य (आर एंड ए) एवं अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Central Board of Direct Taxes

New Delhi, the 31st July, 1996

S.O. 546(E).—In exercise of the powers conferred by clause (iiia) of the proviso to section 193 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies, for the purpose of that clause, the difference payable between the redemption value and the bid price of Zero Coupon Bonds of 5 years tenor of the Government of India, issued under the scheme for sale of Zero Coupon Bonds, 2000 (Third Series) of Government of India by Auction, vide Notification No. F. 4(2)/W&M/ 96 dated 5th July, 1996 of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) :

Provided that the said bonds are held by :—

(i) a banking company;
(ii) a cooperative bank;
(iii) a public financial institution as defined in section 4A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
(iv) Discount and Finance House of India Limited;
(v) Securities Trading Corporation of India Limited.

[Notification No. 10159/F. No. 275/166/96IT(B)]

S.N. SHENDE, Member (R & A) & Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996